# काम देश के नाम

# छावनी परिषद् कार्यालय छावनी जालंधर,

# सार्वजनिक सूचना

जालंधर छावनी के सभी निवासियों और दुकानदारों को हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि साल 2022 - 2023 के संपति टैक्स का बकाया बिल की तारीख 30.06.2022 से बढ़ा कर 30.07.2022 कर दी गयी है । जिसकी रसीद कम्प्युटर द्वारा ई-छावनी पोर्टल (e-Chhawani Portal) http://jalandhar.cantt.gov.in से जारी होगी। संपति टैक्स का बकाया बिल आप घर एवं दुकान पर बैठ कर इंटरनेट बैंकिग, डेबिड/क्रेडिट कार्ड एवं UPI Application के माध्यम से दर्शाई हुई जांलधर छावनी की वेबसाइट पर जमा कर के रसीद प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने संपति टैक्स का भुगतान 30.07.2022 तक नही किया तो बिल में 01 अगस्त से 100/- रुपये नोटिस ऑफ़ डिमांड अतिरिक्त जमा हो जायेंगे और यदि आप नोटिस ऑफ़ डिमांड के बाद भी अपना बिल जमा नही करवाते तो इसके एवज में आपसे 01 सितम्बर,2022 से 1% प्रति माह ब्याज संपति टैक्स पर वसूल किया जाएगा। अगर किसी ने मोबाइल न. ठीक करवाना है तो वह ऑफिस में सम्पर्क कर सकता है।

2. सभी दुकानदारों जोकि खाद्य सामग्री बनाते या बेचते हैं जैसे कि आटा चक्की वाले इसके अतिरिक्त मिठाई वाले, बेकरी वाले और बार्बर/ब्यूटी पार्लर आदि को सूचित किया जाता है कि अपना सालाना 2022-2023 का ट्रेड लाइसेंस (कैंट एक्ट 2006 के अधीन) ऑनलाइन ई-छावनी पोर्टल (Online e-Chhawani Portal) के द्वारा जल्द से जल्द अप्लाई/रिन्यू करें। यदि कोई दुकानदार बिना ट्रेड लाइसेंस के पाया जाएगा तो उस पर कैंट बोर्ड कार्यालय की ओर से कैंट एक्ट 2006 के नियमानुसार जुर्माना और कारवाई की जाएगीं।

3. जिन दुकानदारों ने अपना सामान दुकान के आगे/बाहर पब्लिक रोड पर रखा है वह अपना सामान दुकान के अन्दर रखें अन्यथा उनके विरुद्ध कैंट एक्ट 2006 के अनुसार कारवाई की जाएगी।

Regular announcement for 8 days

दूरभाष सं. 0181-2260250
https://jalandhar.cantt.gov.in

मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद,जालंधर

11/07/2022